तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.07.17	दोनो पक्षो के वकील उपस्थित । बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 47 नियम 1 सीपीसी की सुनी गई।	

वकील प्रार्थीगण द्वारा अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों का कथन करते हुये उल्लेख किया है कि उपरोक्त अनवान प्रकरण न्यायालय श्री के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के तहत विचाराधीन था मगर उपरोक्त अनवान प्रकरण में हरीराम केवाराम जैसाराम छगनीदेवी व बींजाराम द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली को विड्रोल किया गया जबकि उन्हे विड्रोल करने का कोई हक अधिकार नहीं था उक्त विड्रोल हमारी गैर मौजूदगी में बिना सुने होने से प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त की अवहेलना हुई है जिससे हम न्याय पाने से वंचित रहेंगे तथा उक्त विड्रोल होने की जानकारी हवादेवी के मौत होने पर हल्का पटवारी से संपर्क होने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई जिसकी नकल दिनांक 04.03.17 को प्राप्त होने से उपरोक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया जा रहा है जो स्वीकार कर पत्रावली पुनः सुनवाई में रखी जावे । वकील विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के उपरोक्त तथ्यों व कथनो का भारी ऐतराज किया व कथन किया कि वक्त विड्रोल पेश होने प्रार्थना पत्र स्वंय प्रार्थीनी अदालतश्री के समक्ष उपस्थित जिस पर उसके उपस्थिति के हस्ताक्षर है जिस पर प्रार्थनी के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता तथा प्रार्थनाी द्वारा अदालतश्री के समय जाया करने के गरज से उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन व मनन किया मूल पत्रावली को तलब की जाकर उसका भी अवलोकन व मनन किया जिसमें राजीनामा व आवेदन के प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया जिसको देखने से ज्ञात होता है कि प्रार्थना द्वारा अदालतश्री के समस्त उपस्थित अवश्य दी थी मगर उस रोज राजीनामा के प्रपत्र पर प्रार्थीनी के हस्ताक्षर नहीं है जिससे उपरोक्त राजीनामा प्रपपत्र पर प्रार्थीनी के हस्ताक्षर नहीं होने से प्रार्थीनी के द्वारा उपरोक्त रोज वाद पत्र विड्रोल किये जाने की सहमति दी हो इस बाबत विश्वास नहीं किया जा सकता जिससे न्यायहित में उपरोक्त अनवान प्रकरण की पत्रावली को पुनः सुनवाई में लिया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीनी की हद तक उपरोक्त वाद पत्र पुनः सुनवाई में लिया जाने के आदेश दिये जाते है मूल वाद पुनः उसी नम्बर पर दर्ज कर प्रार्थीनी के हद तक सुनवाई में लिये जाने का आदेश दिये जाते है। मूल पत्रावली दिनांक 24.07.17 को पेश हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर

(ह0)

उपखण्ड अधिकारी
SDO, [illegible]